भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3934

(जिसका उत्तर सोमवार दिनांक 18 अगस्त, 2025/27 श्रावण, 1947(शक) को दिया जाना है)

असमान कर का अंतरण

3934. डॉ. कलानिधि वीरास्वामी:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने तमिलनाडु जैसे राज्यों द्वारा उठाए गए असमान कर के अंतरण के मुद्दे पर ध्यान दिया है;

(ख) पिछले पाँच वर्षों के दौरान वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत तमिलनाडु से एकत्रित कुल प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर राजस्व और राज्य को वर्ष-वार अंतरित कुल राशि कितनी है;

(ग) क्या सरकार इस बात को मानती है कि वर्तमान अंतरण पद्धति वित्तीय रूप से अनुशासित और उच्च प्रदर्शन करने वाले राज्यों को दंडित करती प्रतीत होती है और यदि हाँ, तो इस तरह के ढांचे को जारी रखने का औचित्य क्या है; और

(घ) राष्ट्रीय आर्थिक उत्पादन में राज्यों के योगदान की निष्पक्षता, समानता और महत्व सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा कर अंतरण तंत्र की समीक्षा या सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने वाले हैं?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री

(श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख): तमिलनाडु सहित सभी राज्यों को किसी एक राज्य के भीतर नहीं अपितु पूरे देश में एकत्रित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर राजस्व की निवल प्राप्तियों का एक हिस्सा प्राप्त होता है। प्रत्येक राज्य को अंतरित की जाने वाली निवल प्राप्तियों का हिस्सा संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत गठित वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित किया जाता है। पिछले पाँच वर्षों के दौरान तमिलनाडु में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर (केवल जीएसटी) राजस्व संग्रह की राशि और तमिलनाडु को अंतरित कुल राशि नीचे तालिका में दी गई है।

(₹ करोड़ में)

	2020-21	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**
प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर राजस्व संग्रह*	130243.36	173930.73	211441.06	248396.28	263633.38
अंतरित कर	24924.51	37458.60	38731.24	46072.28	52491.88

**- प्रत्यक्ष कर- व्यक्तिगत आयकर और निगम कर, अप्रत्यक्ष कर- जीएसटी*

(ग) और (घ): सरकार द्वारा अपनाई गई वर्तमान अंतरण पद्धति और मौजूदा कर अंतरण तंत्र 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित है। पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर की गई कार्रवाई से संबंधित व्याख्यात्मक ज्ञापन के माध्यम से संसद को अंतरण पद्धति और मौजूदा कर अंतरण तंत्र की जानकारी दी गई और 1 फरवरी, 2021 को इसे संसद में प्रस्तुत किया गया।

***